रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1938] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2010/भाद्र 24, 1932
No. 1938] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2010/BHADRA 24, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

का.आ. 2288(अ).—यत: मै. सिरीन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, जो महाराष्ट्र राज्य में एक निजी संगठन है, ने महाराष्ट्र राज्य में कलवा ट्रांस थाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, जिला थाणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत: केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1876(अ), दिनांक 2 नवंबर, 2007 में उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 19.34 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और अब यत: विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	—अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	—सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन

6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	मै. सिरीन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड (जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रिती

और अब यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

[फा.सं. एफ. 2/94/2005-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2010

S.O. 2288(E).—Whereas M/s. Serene Properties Private Limited, a private organization in the State of Maharashtra, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Kalwa Trans Thane Creek Industrial Area, MIDC, District Thane in the State of Maharashtra;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with Rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified the area of 19.34 hectares at above Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification number S.O. 1876(E), dated 2nd November, 2007;

And now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	—Chairperson ex-officio
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	—Member ex-officio
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	—Member ex-officio
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member ex-officio
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member ex-officio
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	—Member ex-officio
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Maharashtra	—Members ex-officio
8.	Representative of M/s. Serene Properties Private Limited (Developer of the zone)	—Special invitee

And now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 15th day of September, 2010 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 2/94/2005-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.